नबालिग से छेडछाड़ जुर्म दर्ज

रायगढ़। सारंगढ के ग्राम ठेंगाकोट में रहने वाली 15 साल की नाबालिंग को छेड़ने वाले 17 साल के बालक के विरुध्द पुलिस ने मामला दर्ज किया हे बालिका को गांव के हाई स्कूल में पढने वाला लडका स्कूल आते जाते छींटाकशी कर छेडखानी करता। था तथा अकेले पाकर उसका पीछा करता था 17दिसंबर को बालिका अपनी बहन के साथ तालाब नहाने गयी तो वहां भी उसने बालिका का नाम लेकर मेरे साथ चलो कहकर छेडखानी करने लगा जिस पर घटना की रिपोर्ट थाना सारंगढ में किये जाने पर अपचारी बालक के विरूद्ध मामला दर्ज कर अजाक थाना रायगढ भेजा गया, जहां कल 354 (घ) (1) भादंवि 3(1) द, घ, एवं 3(2) 5 (क) एसी/एसटी एक्ट सहपठित धारा 12 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

पांच दिनों से गायब युवक का शव मिला

रायगढ़। कोनपारा घरघोडा से चार पांच दिन से गायब युवक का शव आज कोनपारा-लैलूंगा रोड पर पड़ा पाया गया मृतक कार्तिक राठिया शराब पीने का आदी था, शराब पीकर घर नहीं आता था, इसलिये उसे घर वालो ने ढुंढे नहींअत्यधिक शराब पीने तथा ठंड की वजह से कार्तिक की मृत्यु हुई है , सूचना पर मर्ग दर्ज कर जांच पंचनामा में लिया गया है ।

बालिका से दुष्कर्म की पुलिस ने की पुष्टी

रायगढ़। कल से जिला अस्पताल में भर्ती 13 साल की बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की पुलिस ने आज देर शाम पुष्टी कर दी मामला चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के छोटे अतरमुडा स्थित दीनदयालपुरम का हे जहा अपने परिवार के साथ रहने वाली अबोध बालिका के साथ अपचारी बालक ने तीन माह पूर्व दुष्कर्म किया था जिससे बालिका के मासिक धर्म बाधित होने से परिजनों द्वारा जिला अस्पताल रायगढ में उपचार के लिए लाने से मामले का खुलासा हुआ । पुलिस ने धारा 376 भादंवि सहपठित धारा 4 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर अपचारी बालक से पूछताछ कर रही है।

पुलिस ने कहा आप यूपी जाईये और रिपोर्ट कीजिए-अर्चना दुबे

रायगढ़।

शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सोशल जस्टिस् यूनियन के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में ''अर्चना दुबे'' पत्नी अमित दुबे, उम्र 30 वर्ष, निवासी हाल मुकाम द्वारा अनिल उपाध्याय, कसेरपारा, उत्तर चक्रधरनगर, रायगढ़, छग पिन 496001, ससुरालवालों के द्वारा दहेज मांगकर प्रताड़ित करने, दुर्व्यवहार कर शारीरिक एवं मानसिक कष्ट दिए जाने और पुलिस के द्वारा इस सम्बंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के सम्बंध में बताया।

अपने आवेदन में पीड़िता ने बताया कि मेरा मायका रायगढ़ में है, मेरे पिता एवं परिवार पिछले 30 साल से यहीं निवास कर रहे हैं। मेरा विवाह हिन्दु रीति-रिवाज के साथ दिनॉक 02/12/2010 को मेरे पैतृक ग्राम सिंधोरा बाजार पो.आ. चैनपुर जिला वाराणसी उत्तरप्रदेश से सम्पन्न हुआ था। हम मिताश्ररा से संचालित है। पीड़िता ने बताया कि मुझे एवं मेरे परिवार को बताया गया था कि मेरे पति अमित दुबे एनटीपीसी ऊँचाहार में अधिकारी हैं और उनकी 25000/- रु0 प्रति माह की आमदनी है। साथ ही यह भी कि उनके कई मकान दुकान एवं ढेरो अचल सम्पत्ति ऊँचाहार में है। जो कि सब झूठ था, जो कि शादी के कुछ समय के बाद ही मुझे ज्ञात हो गया। मेरे परिवार ने मेरे सास-ससुर एवं पति के द्वारा उक्त के सापेक्ष में दहेज की मांग की जो कि अच्छे रिश्ते के कारण मेरे पिता ने उधार करके एवं लोन लेकर पूरी की। ससुराल से हमें कहा गया कि इंडिका कार, 20 तोला सोना, गृहस्थी का पूरा सामान, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, फ्रिज, कूलर, टीवी आलमारी, सभी के कपड़े, गहने, रिश्तेदारों के कपड़े आदि दिए जाने हैं, जो कि मांग किए जाने पर मेरे पिता एवं परिवार ने किसी प्रकार पूरी की क्योंकि एक उच्चाधिकारी से विवाह की बात थीं।

अपने आवेदन में पीड़िता ने कहा कि इसके बाद पुनः प्रताडित करना शुरु हो गया, मुझे मेरे कमरे से अलग रसोई में रखा जाना लगा, बात-बात पर गंदी-गंदी गालियॉ दी जाने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो रहा है, तब मैंने जानना चाहा तो बताया गया कि

नौकरी परमनेंट करने के लिए दस लाख रुपये लगेगें, अपने पिताजी को बोलो!! मैंने मना कर दिया तो मेरी लात-घूसे से जानवरो की तरह पिटाई की गई, जिससे मेरी तबियत खराब हो गई। मेरे ससुराल में रहने के दौरान मेरे पति ने मुझसे मार-पीट करते हुए धक्का दिया था, जिससे मैं हैण्डपंप के उपर गिर गई थीं, जिससे मुझे चोट लगी, जिसका ईलाज भी मेरे ससुरालवालों के द्वारा नहीं कराया गया। केवल, मेरी तबियत खराब होने की बात मेरे पिता को बताई गई, जिसपर 25 अप्रेल 2015 को मेरे चाचा मुझे लेने आए, मेरे शरीर में आई चोटो को देखकर उन्होने पूछा तो मैने शर्म से झूठ कह दिया कि ''गिर गई थी''। उनके साथ मैं रायगढ़ आ गई। विदित हो कि इस हैण्डपंप का हैण्डल लगने से खून जमा हो गया था, जिसके कारण मुझे बेहद शारीरिक कष्टो से गुजरना पड़ा और मैं आज भी गुजर रही हूँ , ईलाज मेरे मायके वाले करा रहे हैं। ईलाज के दस्तावेज भी इस आवेदन के साथ संलग्न हैं। अपने आवेदन में पीड़िता ने कहा उसके बाद से मैने अपने घर में कोई भी बात नहीं बताई, मेरा ईलाज चलता रहा। मेरी कोई खोज-खबर मेरे पति एवं ससुराल वाले नहीं ले रहे थें, जिस के कारण मेरे मायकेवालों को चिंता हुई, तब 04 अक्टूबर 2015 को मेरे भाई ने अपने मोबाईल से मेरे पति के मोबाईल पर फोन करके पूछा कि आप लोग कैसे हैं, बात-वात नहीं कर रहे हैं, तो वहॉ से जवाब आया कि दस लाख का इंतजाम हो गया क्या? जिसपर मेरे भाई ने पूछा कि दस लाख? क्या? क्यो? तो कहा गया कि तुम्हारी बहन ने नहीं बताया कि दस लाख रुपये चाहिए नौकरी परमानेंट कराने के लिए, कोई अईयाशी के लिए नहीं मांग रहे है, इंतजाम हो जाए तो बता देना, नहीं तो तुम्हारी बहन को विदा नहीं कराएगे, रखे रहो। जिसपर मेरा भाई बेहद परेशान हो गया, उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे एवं अपने पिता व परिवार को पूरी बात बताई। जिसपर मेरे पिता ने फोन लगाया, जो कि नहीं उठाया गया, लेकिन वे एक दिन के आड़ में फोन करते रहे। फिर 14 तारीख 2015 को मेरे ससुर ने मेरे पिताजी को फोन किया, मेरे पिता के मो0 नं0 से मेरे ससुर की बात हुई, तो मेरे ससुर ने कहा कि क्या विचार किया, पैसे दोगे कि लड़की को अपने घर में ही रखोगे, मेरे पिता ने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं अभी तो आपको पॉच लाख रुपये दिया हूँ , ऐसी व्यवस्था मेरे लिए नामुमकिन है, तो उन्होने कहा कि ठीक है, मैं मेरे लड़के की शादी किसी और जगह करा देता हूँ , आप अपनी लड़की को अपने घर में ही रखो। तब से मैं अपने माता-पिता के घर मे ही हूँ।

ऐसे हुई जानकारी

विवाह के दो महीने बाद तक मेरे पति काम पर नहीं गए तो मुझे लगा कि विवाह हेतु छुट्टी लिए होंगें, लेकिन मुझे कुछ शंका होने लगी। तीसरे माह में मेरे द्वारा घर-खर्च के लिए अपने पति को अपनी माता से रकम मांगते हुए देखा, जो कि मुझे बेहद विचित्र लगा, मैंने अपने पति से पूछा कि आप माताजी से पैसे क्यों मांग रहे हैं, जिसपर उन्होने कहा कि फिर किस से मांगू, पिताजी तो मुझे रकम देते नहीं है। मेरे लिए यह बेहद विचित्र बात थीं, जो व्यक्ति एनटीपीसी में उच्चाधिकारी है, उसे भला अपने माता-पिता से खर्च के लिए रकम मांगने की क्या जरुरत है? मैंने इसपर अपनी सास से बात की तो उन्होने कहा कि अमित अभी कुछ नहीं करता है, उसे एनटीपीसी में लगवाना है, तेरे पिताजी से बोल कि 10 लाख रुपये ले ले, तो अपना काम हो जाएगा। पीड़िता आसमान से गिरी, उसे लगा कि उसकेपूरे परिवार के साथ जालसाजी हुई है, तब उसने अपनी सास को कह दिया कि आपने तो बताया था कि अमित ऊँचाहार में एनटीपीसी में उच्चाधिकारी हैं? मतलब आपने झूठ कहा तो मेरी सास आगबबूला हो गई, और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, जिससे मेरे ससुर, ननद एवं देवर आ गए,, मेरी सास ने कहा कि मुझे और आप (ससुर) को और पूरे परिवार को झूठा बोल रही है, तब मेरे ससुर ने मुझे हाथ से मारा कहा कि मारो इसको हमारी बेईज्जती करती है, गाली-गलौच करते हुए उसे सब मिलकर मारने लगे।

एस.जे.यू. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से की शिकायत

अपने पति अमित दुबे, ससुर मंगला प्रसाद, सास विमला देवी, ननद मोहनी मिश्रा, एवं देवर सूचित दुबे के विरुद्ध दहेज मांगने एवं शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करने के आपराधिक कृत्य की शिकायत ताकि न्यायोचित प्रकरण दर्ज करा न्याय दिलाए जाने के साथ मेरा ''स्त्रीधन'' भी मुझे दिलवाने की कृपा की जावे।

नहीं कर रहे अपराध दर्ज

मेरे द्वारा पूर्व में पुलिस के समक्ष इस सम्बंध में शिकायत की गई, लेकिन वहॉ से ये कहा गया कि आप यूपी जाईये, यहॉ कार्यवाही नहीं होगी।

पीड़िता के साथ ये हुई मानसिक एवं शारीरिक घरेलू हिंसा

1/ हाथ, जूता, बेल्ट से मारना 2/ ससुर के साथ नाजायज सम्बंध होने का लांछन लगाना 3/ छोटे घर से आई है, दहेज नहीं लाई है कहना 4/बांझ है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, कहना 5/ बाहर नहीं निकलने देना बंद करके रखना 6/ कम पढी लिखी है, मोटी है कहना 7/ माता-पिता को ले कर उपहास करना 8/ पति की दूसरी शादी कराने के बारे में कह-कह कर मानसिक रुप से प्रताड़ित करना 9/ बुनियादी जरुरतों को पूरा नहीं करना 10/ रसोई में जाने से रोकना 11/ बारंबार दहेज में 10 लाख की मांग करना 12/ स्त्रीधन पर कब्जा करना ..... जो कि आपराधिक प्रकरण हेतु सक्षम एवं पुष्टिकारक साक्ष्य है।

सोशल जस्टिस यूनियन के प्रयास से हुई कार्यवाही

रायगढ़।

शासन से मान्यता प्राप्त संस्था सोशल जस्टिस् यूनियन के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में पीड़ित ने बताया गया कि उसके विरुद्ध की गई धोखाघड़ी के सापेक्ष में न्यायोचित कार्यवाही कराकर न्याय दिलाया जावे साथ में उसके द्वारा विधिनुसार जारी शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अपने आवेदन में बोधसाय मांझी आ.अभीराम, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम कुम्हार बहार पो.कोनपारा तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर, छग ने बताया कि अनिल चौधरी जिसे मैं पहचानता हूं , ने मेरे साथ धोखाघड़ी की है। अनिल चौधरी के साथ मैंने, दिनॉक 29/06/2014 को, वाहन स्क्रापियों क्र सीजी11 बीए 6700 हेतु नाम-ट्रांस्फर, इंश्योरेंस् एवं फाईनेंस् का करार कुल 17,000/- सत्रह हजार रुपये में किया था, जो कि मेरे द्वारा प्रदान किए जा चुके हैं।

धोखाधड़ी से ली गई रकम वापस हुई

उक्त सम्बंध में मेरे द्वारा अनिल चौधरी आ.नामालूम ग्राम कुनकुरी पो. कुनकुरी तह कुनकुरी, जिला जशपुर छग को 13,000/- तेरह हजार रुपये नगद में, दिया था, एवं 4000/- चार हजार रुपये उनके खाते में स्टेट बैंक गंझियाडीह मेरे खाता

क्र 0 31036056791 से ट्रांस्फर किया था। रकम के साथ मेरे खाता क्र. 31036056791 शाखा गंझियाडीह के 6 छः ब्लैक चेक, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किए हुए भी अनिल चैधरी ने लिए हैं, यह कहते हुए कि फाईनेंस् हेतु जरुरत पड़ेगी। अपने आवेदन में पीड़ित ने बताया कि रकम एवं चेक को लेने के बाद भी उक्त अनिल चौधरी मेरा काम नहीं किया और ना ही मेरे द्वारा प्रदत्त रकम को मुझे वापस किया है। मांगे जाने पर धमकी देता है कि चेक में रकम लिखकर बाउंस करा दूंगा, जेल करा दूंगा।

एस.जे.यू.से की शिकायत

आवेदन न्याय हेतु सामाजिक न्याय संघ में प्रस्तुत किया गया, और कहा गया कि मेरे प्रकरण के सापेक्ष में मुझे तत्काल न्यायिक सहायता प्रदान किया जाकर न्यायोचित क्रियांनवन् कराए जाने एवं संदर्भित आपराधिक प्रकरण पंजीकृत करने का आदेश कराने की कृपा की जावे। जिस पर कार्यवाही हुई और पीड़ित को उसकी रकम वापस हुई।

एस.जे.यू. ने भेजा गया था प्रकरण - हुई कार्यवाही

रजिस्टर्ड पोस्ट से श्रीमान् राज्यपाल महोदय, राजभवन, छग शासन, रायपुर, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, जशपुर, पुलिस महानिदेशक, छग शासन, रायपुर, पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, एसपी, जशपुर, के साथ थाना प्रभारी, थाना तुमला, को सूचित किया गया।

धान खरीदी में एस.डी.एम.की अनुमति का आदेश कलेक्टर ने लिया वापस

रायगढ़। कल किसानों व्दारा किये गये व्यापक विरोध के बाद कलेक्टर अलरमेलमंगई डी ने एसडीएम की अनुमति के उपरांत धान खरीदी के आदेश को निरस्त कर दिया है। धान खरीदी केन्द्रों में बिचौलियां एवं कोचियों को रोकने यह आदेश जारी किया गया था। एसडीएम के पास जाकर अनुमति लेने में किसानों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए यह आदेश वापस ले लिया गया।

लाल टंकी में फिर हुयी दुपहिया चोरी

रायगढ़। रायगढ दानीपारा लाल टंकी में फिर स्कूटी मेस्ट्रो चोरी हो गयी इस बार शिकार बने परमजीत सिंह बग्गा जो17 दिसंबर की रात 11बजे अपनी स्कूटी मेस्ट्रो क्रमांक सीजी 13-5643 को घर के सामने खड़ा किया था रात्रि 1बजे गाड़ी को अंदर करने के लिए बाहर निकला तो स्कुटी गायब थी आसपास पता तलाश करने पर कोई पता नहीं चला तब रिपोर्ट कोतवाली में किये जाने पर 379 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

नामजद रिपोर्ट होने पर भी पुलिस नहीं करती कार्यवाही !!

अग्रदूत एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड कोलकाता के विरुद्ध शिकायत

जशपुर। सामाजिक न्याय संघ के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में बताया गया कि मैं ''अरविंद सिंह'' आ. दिलन सिंह, उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम गिरहलडीह, पो.लोधमा, थाना कुनकुरी जिला जशपुर, चिटफंड कम्पनी ''अग्रदूत एजेंस्सीस् प्राईवेट लिमिटेड कोलकाता ने 5000/- रुपये जमा करवाने के 3 महीने के बाद रकम वापस करने एवं इस सम्बंध में 6 प्रतिशत ब्याज के आश्वासन देने के बाद भी, रकम पर ब्याज नहीं देने एवं रकम मूलधन को मांगे जाने पर नहीं दिए जा रही है, उन्होने विधिक सहायता प्रदान कराए जाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है।

अपने आवेदन में पीड़ित ने कहा है कि मैं मुझे अमरदास के द्वारा मुझे फोन करके बुलाया गया था, मेरे पहुंचने पर उक्त अमरदास ने मुझे दीपक टोप्पो एवं अरुण किंकर से मिलवाया। उक्त दोनों दीपक टोप्पो एवं अरुण किंकर मिलकर मुझे एक कम्पनी ''अग्रदूत एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड कोलकाता'' के बारे में बताया और अधिक ब्याज एवं मूलधन की वापसी के सम्बंध में कम्पनी के विभिन्न प्लॉन के सम्बंध में जानकारी दी और कहा कि आप इसमें रकम लगाईये बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अपने आवेदन में पीड़ित ने बताया कि उनके कहने से और उनके द्वारा कम्पनी के सम्बंध में दी गई जानकारियों से मैं संतुष्ट हो गया और अपने गांव के लोग है, धोखा नहीं होगा सोचकर मेरे द्वारा 5000/- रुपये उक्त कम्पनी में जमा जमा किए गए जिसकी रसीद संलग्न है। जिस पर मुझे बताया गया कि 3 महीने के बाद आप यह रकम वापस ले सकते हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि इस रकम पर आपको 6 प्रतिशत मासिक ब्याज भी प्राप्त होगा।

ना मूलधन मिला ना ब्याज

अपने आवेदन में पीड़ित ने बताया कि कुछ दिन तक मुझे उक्तानुसार 6 प्रतिशत की दर से 300/- अक्षरांक तीन सौ रुपये ब्याज मिलता रहा, जिससे प्रभावित होकर मैंने अपनी पत्नी के नाम से अक्षरांक सात लाख पन्द्रह हजार की रकम को भी इन्वेस्ट किया था। जिस पर मेरी पत्नी को 9 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलना था, जो कि अक्षरांक चौसठ हजार तीन सौ पचास रुपये प्रतिमाह मिलना था, लेकिन उसके बाद मुझे अपने स्वयं का एवं मेरी पत्नी हेतु मिलने वाला ब्याज भी मिलना बंद हो गया, जिसके बाद मैने उक्त दीपक टोप्पो एवं अरुण किंकर से बारंबार इस मामले को कहा गया लेकिन मुझे ब्याज नहीं मिला एवं मूलधन के लिए कहे जाने पर मुझे आज दिनांक तक मेरे मूलधन की रकम को भी वापस नहीं किया गया, जिससे मैं बेहद परेशान हूँ।

एस.जे.यू. से की शिकायत

मेरे द्वारा मेरी पत्नी के द्वारा लगातार मूलधन एवं ब्याज की मांग किए जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, अतः यह आवेदन न्याय हेतु आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ में प्रस्तुत कर रहे है, ताकि न्याय प्राप्ति हो सके। कहा कि आपसे निवेदन है कि मैं पीड़ित हूं , और बहुत परेशान हूं,, तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कराया जाकर न्याय दिलाए जाने की कृपा की जावे।

नौकरी पर वापस रखने हेतु शासन गंभीर नहीं?

अकारण सेवा से निकालने के मामले में आज तक कोई कार्यवाही क्यो नहीं ?

जशपुर।

सामाजिक न्याय संघ के समक्ष प्रस्तुत होकर दिए अपने लिखित आवेदन में पीड़िता ने बताया गया कि उसकी नियुक्ति वर्ष 01/08/2014 को पंचायत सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर की गई थीं, जिससे, उसे अकारण सेवा से पृथक कर अनावश्यक सेवा से वंचित कर दिया गया, जिस सम्बंध में न्यायोचित कार्यवाही कराकर न्याय दिलाए जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में पीड़िता ने बताया कि बसंती बेक आ मशीचरण बेक, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम तुमला, पो तुमला, तहसील फरसाबहार, जिला जशपुर छग, छग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र

क्रमांक/पंचा/पंग्राविवि/22/2014/72 नया रायपुर दिनांक 30/01/2014 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर द्वारा जारी निर्देश के तहत् मुझे आदेश जारी हुआ था। जिसके बाद, मुझे दिनॉक 28/07/2014 के कार्यालय ग्राम पंचायत तुमला, जनपद पंचायत, फरसाबहार, जिला जशपुर छग के आदेश क्र./18/ग्रा.पं/2014-15 के अनुसार पंचायत सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया गया था। आदेश की प्रतिलिपि से स्पष्ट दर्शित है कि मैं विधिनुसार चयनित होकर के पंचायत सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त हुई थीं। उक्त आदेश के तहत् मैने दिनॉक 01/08/2014 को तत्सम्बंध में ज्वाईनिंग दी गए, और कार्य किया जाता रहा।

अपने आवेदन में पीड़िता ने बताया कि मुझे दिनांक 29/08/2015 को अचानक मेरी सेवा एवं कार्य ये पृथक कर दिया गया, विदित हो कि क्योकि इस सेवाकाल में मुझे शासन के नियमों के तहत् भुगतान प्राप्त होता रहा, और मेरे विरुद्ध अथवा मुझे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिससे स्पष्ट है कि मेरी नियुक्ति वैधानिक रीति से हुई थीं।

यह योजना शासन की थी, जिसके सम्बंध में शासन के नियमानुसार एवं शासन के आदेश के पालनार्थ नियुक्तियॉ की गई थी, स्पष्ट है कि मैं शासन की कर्मचारी थी, और मुझे शासन के नियमानुसार भुगतान प्राप्त होता था। पीड़िता ने बताया कि रिक्त पदों के लिए मैं उचित तरीके से चयनित होकर आई थी, और मैंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। माननीय उच्चतम् एवं उच्च न्यायालयों के विभिन्न आदेशों का भी उल्लेख किया जाना उचित है, जिसमें यह कहा गया है कि -किसी योजना के समाप्त होने पर सरकार कर्मियों की नौकरी समाप्त नहीं कर सकती, अपितु कार्य में लगे एवं प्रयुक्त उन कर्मचारियों को जो कि उक्त योजना के तहत् नियुक्त किए गए थें, को समायोजित करने की पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी, और सरकार इससे मुख फेर नही सकती है।

एसजेयू से की शिकायत

आवेदन न्याय हेतु सामाजिक न्याय संघ में प्रस्तुत किया गया, ताकि न्याय प्राप्ति हो सके। मेरे प्रकरण के सापेक्ष में मुझे तत्काल न्यायिक सहायता प्रदान किया जाकर न्यायोचित क्रियांनवन् कराए जाने एवं संदर्भित आपराधिक प्रकरण पंजीकृत कर सेवा में लिए जाने का आदेश कराने की कृपा की जावे।

25 दिसम्बर को सुशासन दिवस

रायगढ़। कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को आगामी 25 दिसम्बर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस को सु-शासन दिवस के रूप मनाए जाने एवं इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निर्देशित किया है।